्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर०ए०एस

– 014/2021

त : –
रामलाल पुत्र लेखराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/1. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल
1/2. दिवानाराम पुत्र रामलाल
1/3. रामकिशन पुत्र रामलाल
1/4. रमेश पुत्र रामकिशन पौत्र रामलाल

} जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. हरिसिंह उर्फ सिंगाराम पुत्र लेखराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री राजेन्द्र गोयल प्रार्थीगण
श्री कपूरचन्द शर्मा अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 25.02.2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा प्रार्थीगण के नाम से चक 9 .टी.आर. के खाता संख्या 69/61 में कुल 6.272 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ाणित नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना—पत्र है।

अप्रार्थी के नाम से चक 9 एन.टी.आर. के खाता संख्या 69/61 में कुल 3.352 टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना—पत्र है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का पूर्व में एक ही खाता था एवं खाता विभाजन के उपरान्त ्त भूमि दो खातों में विभाजित हो गई परन्तु खाता विभाजन के समय प्रार्थी के हिस्सा में ाई कृषि भूमि के मुरबा नम्बर 93 कि किला नम्बर 24, 25 एवं मुरबा नम्बर 104 के किला ्बर 4 व 5/1 में आवागमन हेतु रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो पाया। प्रार्थी पनी उक्त आराजी में आने—जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि मुरबा नम्बर 93 के किला ्बर 18/2/0.127 की पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण एवं किला नम्बर 23 के उतरी—पूर्वी ोना में से आवागमन करता है। उक्त रास्ता चालू है एवं ... उक्त रास्ते का बन्द रने की धमकी देता है। अतः प्रार्थी ने अप्रार्थी की कृषि भूमि ... नम्बर 93 के किला ्बर 18/2/0.127 की पूर्वी दिशा में उतर से ... के उतरी—पूर्वी ोना में रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:36:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा ... ायत अदालत हाजा के है। लिहाजा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध ार्थी निम्न प्रकार से स्वीकृत फरमाया जावे :—

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

(क). प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी की कृषि भूमि चक चक 9 एन.टी.आर. के खाता संख्या 69/61 के मुरबा नम्बर 93 कि किला नम्बर 18/2/0.127 की पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण 0.007 हैक्टर एवं किला नम्बर 23 के उतरी–पूर्वी कोना में 0.001 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

(ख). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग). अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी अपने वारीसान के नाम से दर्ज करवा दी है अतः प्रार्थी के स्थान पर उसके वारीसान को प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में बतौर प्रार्थीगण संयोजित किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य सन 2017 में खाता विभाजन हुआ था जिसमें पक्षकारान ने आपसी सहमति से मुरबा नम्बर 93 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण एवं किला नम्बर के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा रास्ता रखा गया था एवं उक्त रास्ते में आई भूमि को कम किया जाकर पक्षकारान के नाम से दर्ज की गई थी एवं मुरबा नम्बर 93 के किला नम्बर 23 के उंतरी–पूर्वी कोना में कोई रास्ता दिया जाना तय नहीं हुआ था। अतः प्रार्थी प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा मुताबिक अनुतोष रास्ता स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवार हल्का का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की कृषि भूमि रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर. के खाता संख्या 69/61 के मुरबा नम्बर 93 कि किला नम्बर 18/2/0.127 की पूर्वी दिशा में उंतर से दक्षिण 0.007 हैक्टर एवं किला नम्बर 23 के उतरी–पूर्वी कोना में 0.001 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है रास्ते में आई भूमि की एवज में डी.एल.सी. दर की दोगुना राशि जमा करवाई जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:36:51 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़